

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 21 सितम्बर, 2021

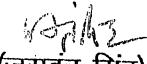
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के उप चुनाव माह सितम्बर, 2021 के लिये मतदान दिनांक 28.09.2021 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होंगे।

अतः निर्वाचन क्षेत्रों से लगते हुये 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है। पंच/सरपंच चुनाव की मतगणना इनके मतदान के दिन ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर ही होगी जो देर रात्रि तक जारी रह सकती है। ऐसी स्थिति में पंच/सरपंच की मतगणना के समय भी सूखा दिवस घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 26.09.2021 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 28.09.2021 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

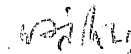
संलग्न: उपरोक्तानुसार।


(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.7(2)(1)पंचा/रानिआ/2021/4574 दिनांक 17.09.2021 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर.....
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त.....
10. जिला आबकारी अधिकारी.....

— निजी मन्त्रालय।


संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

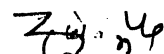
(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 4686

दिनांक: 23.09.21

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलेक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग